محاسن الدين الإسلامي

جمع وإعداد

أبو خالد جاويد أحمد عبدالحق سعيدي

इस्लाम की विशिष्टतायें

संकलन

अबू ख़ालिद जावेद अहमद अब्दुल हक़ सईदी

الهندية

سلطانة
Sultanah

محاسن الإسلام

इस्लाम की विशिष्टतायें

संकलन

अबू ख़ालिद जावेद अहमद अब्दुल हक़ सईदी

संशोधन

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह मदनी

शफीकुर्रहमान ज़ियाउल्लाह मदनी

प्रकाशन

इस्लामी आमन्त्रण एंव निर्देश कार्यालय

सुलतानह, रियाज़, सऊदी अरब

ⓒ **المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بسلطانة ، ١٤٣٦ هـ**

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

سعيدي ، جاويد أحمد عبدالحق

محاسن الإسلام - هندي / جاويد أحمد عبدالحق

سعيدي ؛ عطاء الرحمن ضياء الله - الرياض ، ١٤٣٦ هـ

٨٢ ص ؛ ١٤ × ٢١ سم

ردمك: ٧-٤٨-٨٧١-٩٩٦٠

١- الإسلام أ- ضياء الله ، عطاء الرحمن (مترجم) ب- العنوان

ديوي ٢١٠ ١٤٣٦/٢٩٦٠

رقم الايداع: ١٤٣٦/٢٩٦٠

ردمك: ٧-٤٨-٨٧١-٩٩٦٠

بسم الله الرحمن الرحيم

अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो अति मेहरबान और दयालु है।

सभी प्रशंसायें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं और दरूद व सलाम हो हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया , और उनकी संतान और उनके सभी साथियों पर।

हम्द व सना के बाद :

ज्ञात होना चाहिए कि वास्तव में यह किताब उन किताबों का एक मजमूआ है, जिन का अनुवाद शेख अताउर्रहमान जिय़ाउल्लाह और कई एक भाइयों ने किया है, और रबवह दअवह सेन्टर ने जिसे प्रकाशित किया है, मैं ने केवल इस का संकलन किया है, संकलन करते समय आवश्यकतानुसार ही कहीं कहीं अनुवाद किया है, चूँकि किताब अति लाभदायक तथा

महत्वपूर्ण है, इसी **लिए** सुलतानह **द**अवह सेन्**ट**र इसे **अपने** यहां **से** प्रकाशित कर रहा है।

अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ हे कि वह **हमारे** इस अमल को क़बूल फरमा**ए** और इस किता**ब** के अनुवा**द**क ,संकलन कर्ता, प्रकाशक **तथा** हर उस व्यक्ति को अज्र व सवा**ब** प्र**दा**न **करे** **जिस** ने इस किता**ब** के **वि**षय में **हमारी** सहायता **की**। आमीन ।

अबू खालिद जावेद अहमद अब्दुल हक़ सईदी

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء و المرسلين

अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो अति मेहरबान और दयालु है।

सभी प्रकार की प्रशंसायें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं और दरूद व सलाम हमारे नबी मुहम्मद पर हों जो अंतिम संदेष्टा और आखिरी रसूल हैं।

निःसन्देह इस्लाम धर्म सभी धर्मों में सब से परिपूर्ण, सब से उत्तम, सर्वश्रेष्ठ एंव अंतिम धर्म है। और शुद्ध बुद्धि इस धर्म को बहुत जल्द स्वीकार करती है, इस लिए कि इस धर्म के अन्दर अनेक प्रकार की उत्तमता, विशेषताएं, नीतियाँ तथा ऐसी खूबियाँ हैं जो इस (इस्लाम) से पहले के धर्मों में नहीं पाई जातीं। पस इस्लाम धर्म वह अंतिम धर्म है जिस को अल्लाह ने अपने मोमिन बन्दों के लिए पसन्द कर लिया है, **"आज मैं ने तुम्हारे लिये दीन (धर्म) को पूरा कर**

दिया और तुम पर अपना इन्आम पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम धर्म को पसन्द कर लिया।" (सूरतुल माईदा:3)

तो अल्लाह ने इस धर्म को परिपूर्ण कर दिया है। इसी कारण यह धर्म हर प्रकार से पूर्ण है।

और अल्लाह तआला ने हमारे लिये इस (इस्लाम) धर्म को पसन्द कर लिया है, और वह तो अपने बन्दों के लिए सब से पूर्ण उत्तम तथा सर्वश्रेष्ठ वस्तु को ही पसन्द करता है।

तो इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जो आत्मा तथा शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, इस धर्म ने मानवता को कम्यूनिष्ट की तरह किसी हथियार का ढाल नहीं बनाया और न ही रहबानियत की तरह मानवता को उस की अनिवार्य चाहतों से वंचित रखा और न ही भौतिक पश्चिमी सभ्यता (माद्दी मग़्रिबी तहज़ीब) की तरह बग़ैर किसी नियम प्रबंध के

कामवासना की बाग डोर उस के लिये खुली छोड़ दी।

इस्लाम धर्म ही केवल ऐसा धर्म है जिस के अन्दर किसी प्रकार की प्रतिकूलता तथा जटिलता नहीं है, अल्लाह तआला ने फरमायाः"**तथा निःसन्देह हम ने क़ुरआन को समझने के लिए आसान कर दिया है पर क्या कोई नसीहत प्राप्त करने वाला है?"** (सूरतुल–क़मरः17)

इस्लाम ही केवल वह धर्म है जिस के अन्दर मानवता की कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान पाया जाता है। आस्था के संबंध में पूज्य, संसार तथा मानवता के बारे में सहीह फिक्र प्रदान करता है तथा अहकाम के संबंध में जीवन के उन सभी गोशों को संगठित करता है जो उपासना, अर्थशास्त्र, राजनीति, समस्याएं, व्यक्तिगत मसाइल तथा विश्व स्तर के संबंध इत्यादि को सम्मिलित हैं तथा चरित्र के संबंध में मनुष्य एंव समाज को सभ्य बनाता है।

इस्लाम ही ऐसा धर्म है जिस के अन्दर उन सभी प्रश्नों का संतोषजनक और इतमिनानबख़्श उत्तर विस्तार के साथ मौजूद है जिस ने मानवता को आश्चर्यचकित कर रखा है कि मानवता का जन्म क्यों हुआ? शुद्ध पथ (सीध मार्ग) कौन सा है? तथा इस (मानवता) का अंतिम ठिकाना कहाँ है?

आस्था, चरित्र, उपासना, मुआमलात, तथा व्यक्तिगत विषय और साधारण अहकाम के बारे में इस्लाम सभी धर्मों में सब से पूर्ण, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ और उचित है, वास्तव में यह ऐसा ही है इस लिये कि यह किसी मनुष्य का बनाया हुआ इंसानी धर्म नहीं है परन्तु यह ईश्वरीय धर्म है जिस के अहकाम को अल्लाह तआला ने बाया है। अल्लाह तआला ने फरमाया:"**विश्वास रखने वाले लोगों के लिये अल्लाह से बेहतर निर्णय करने वाला कौन हो सकता है**?" (सूरतुल माइदा:50)

और यह धर्म हर प्रकार के अहकाम तथा इस्लामी निज़ाम को सम्मिलित है और सभी अहकाम तथा

व्यवस्था में सब से पूर्ण तथा उत्तम और लोगों के लिए सब से उचित है। तथा इस के अन्दर किसी प्रकार की खराबी, प्रतिकूलता और दुष्टता तथा बिगाड़ नहीं है। और सभी धर्मों की तुलना में इस्लाम को शुद्ध बुद्धि बहुत जल्द स्वीकार करती है।

वास्तव में इस्लाम पूरे जीवन के लिए एक पूर्ण विधान है तथा जिस समय इस धर्म को वास्तविक रूप में लागू करने का अवसर प्रदान किया गया तो इस ने एक ऐसा आदर्श समाज तथा सुसज्जित इंसानी सभ्यता प्रदान किया जिस के अन्दर हर प्रकार की उन्नति तथा सभ्यता पाई और जिस समाज के अन्दर चरित्र तथा ऊँचे नमूनों ने उन्नति की और सामाजिक न्याय निखरा और इंसानी सभ्यता अपने सुसज्जित रूप में सामने आई।

इस्लाम ने तमाम इंसानों को बराबर के अधिकार प्रदान किए, पस किसी अरबी व्यक्ति को किसी अजमी पर और किसी सफेद रंग के व्यक्ति को किसी

काले रंग के व्यक्ति पर कोई प्रधानता नहीं परन्तु यह (प्रधानता) आत्मनिग्रह तथा सत्कर्म के आधार पर होगी। अतः इस्लाम के अन्दर गोत्र–वंश या रंग या देश आदि का पक्षपात नहीं है, बल्कि सत्य तथा न्याय के सामने सभी एक समान हैं।

इस्लाम ने हाकिमों को उनके सारे अहकाम में हर व्यक्ति के विषय में पूर्ण न्याय देने का आदेश दिया। पर इस्लाम के अन्दर कोई भी व्यक्ति नियम से बाहर नहीं है।

और इस्लाम ने लोगों को सहयोग तथा भरणापोषण के आदेश दिये और धनवानों को निर्धनों की सहायता करने और उन के बोझ को हल्का करने तथा उन निर्धनों को एक उत्तम श्रेणी तक पहुँचाने का आदेश दिया और सारे लोगों को परामर्श का आदेश दिया कि जिस परामर्श के नतीजे में यदि लाभदायक चीज़े प्रकट हों तो उन को अपना लिया जाए, यदि

हानिकारक चीज़ें प्रकट हों तो उन को छोड़ दिया जाए।

इस्लाम धर्म ने अपने से पूर्व शरीअतों (धर्म–शस्त्रों) को सम्पूर्ण और संपन्न कर दिया है, इस से पूर्व की शरीअतें आत्मिक सिद्धान्तों पर आधारित थीं जो नफ्स को सम्बोधित करती थीं और उसके सुधार और पवित्रता की आग्रह करती थीं और सांसारिक और आर्थिक मामलों की सुधार करने वाली समस्त चीज़ों पर कोई रहनुमाई नकीं करती थीं, इसके विपरीत इस्लाम ने जीवन के समस्त छेत्रों को संगठित और सम्पूर्ण कर दिया है और दीन व दुनिया के सभी मामलों को सम्मिलित है, अल्लाह तआला का फरमान है :"**आज मैं ने तुम्हारे लिये तुम्हारे दीन को पूरा कर दिया, और तुम पर अपनी ने'मतें पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम धर्म को पसन्द कर लिया।**" (सूरतुल मायदा :3)

इसी लिए इस्लाम सर्वश्रेष्ठ और सब से अफज़ल धर्म है, अल्लाह तआला का फरमान है :"**तुम सब से अच्छी**

उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई है कि तुम नेक कामों का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब ईमान लाते तो उनके लिए बेहतर होता, उन में ईमान वाले भी हैं, लेकिन अधिकतर लोग फ़ासिक़ हैं।" (सूरत आल–इमरान :110)

इस्लाम धर्म एक विश्वव्यापी धर्म है जो बिना किसी अपवाद के प्रत्येक समय और स्थान में सर्व मानव के लिए है, किसी विशिष्ट जाति, या सम्प्रदाय, या समुदाय या समय काल के लिए नहीं उतरा है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिस में सभी लोग संयुक्त हैं, किन्तु रंग, या भाषा, या वंश, या छेत्र, या समय, या स्थान के आधार पर नहीं, बल्कि एक सुनिश्चित आस्था (अक़ीदा) के आधार पर जो सब को एक साथ मिलाए हुए है। अतः जो भी व्यक्ति अल्लाह को अपना रब (पालनहार) मानते हुए, इस्लाम को अपना धर्म और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपना पैग़म्बर मानते

हुए ईमान लाया तो वह इस्लाम के झण्डे के नीचे आ गया, चाहे वह किसी भी समय काल या किसी भी स्थान पर हो, अल्लाह तआला का फरमान है :"**हम ने आप को समस्त मानव जाति के लिए शुभ सूचना देने वाला तथा डराने वाला बनाकर भेजा है।**" (सुरत सबा :28)

अल्बत्ता इस से पूर्व जो संदेशवाहक गुज़रे हैं, वे विशिष्ट रूप से अपने समुदायों की ओर भेजे जाते थे, जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान है :"**हम ने नूह को उनकी क़ौम की ओर भेजा।**" (सूरतुल आराफ :59)

तथा अल्लाह तआल ने फरमाया :"**तथा हम ने आ'द की ओर उनके भाई हूद को भेजा, तो उन्हों ने कहा : ऐ मेरी क़ौम अल्लाह की उपासना करो, उसके सिवाय तुम्हारा कोई सच्च मा'बूद (पूज्य) नहीं।**" (सूरतुल आराफ :60)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया : "**तथा समूद की ओर उनके भाई सालेह को भेजा, तो उन्हों ने कहा : ऐ मेरी**

क़ौम! अल्लाह की उपासना करो, उसके सिवाय तुम्हारा कोई सच्चा मा'बूद नहीं।" (सूरतुल आराफ :73)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया :**"और लूत को (याद करो) जब उन्हों ने अपनी क़ौम से कहा।"** (सूरतुल आराफ :80)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया :**"और मद्यन की ओर उनके भाई शुऐब को (भेजा)।"** (सूरतुल आराफ :85)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया :**"फिर हम ने उनके बाद मूसा को अपनी आयतों के साथ फिर्औन और उसकी क़ौम की ओर भेजा।"** (सूरतुल आराफ :102)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया :**"—और उस समय को याद करो— जब ईसा बिन मर्यम ने कहा : ऐ इस्राईल के बेटो ! मै तुम्हारी ओर अल्लाह का पैग़म्बर हूँ, अपने से पूर्व तौरात की पुष्टि करने वाला हूँ..।"**

इस्लाम के विश्वव्यापी धर्म होने और उसकी दावत के हर समय और स्थान पर समस्त मानव जाति की ओर सम्बोधित होने के कारण मुसलमानों को इस संदेश का

प्रसार करने और उसे लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है, अल्लाह तआला ने फरमाया :**"और हम ने इसी तरह तुम्हें बीच की (संतुलित) उम्मत बनाया है, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तुम पर गवाह हो जाएं।"** (सूरतुल बक़रा :143)

इस्लाम धर्म के नियम (शास्त्र) और उसकी शिक्षाएं रब्बानी (ईश्वरीय) और स्थिर (अटल) हैं उनमें परिवर्तन और बदलाव का समावेश नहीं है, वे किसी मानव की बनाई हुई नहीं हैं जिन में कमी और गलती, तथा उस से घिरी हुए प्रभाविक चीज़ों; सभ्यता, वरासत, वातावरण से प्रभावित होने की सम्भावाना रहती है। और इसका हम दैनिक जीवन में मुशाहदा करते हैं, चुनाँचि हम देखते हैं कि मानव संविधानों और नियमों में स्थिरता नहीं पाई जाती है और उनमें से जो एक समाज के लिए उपयुक्त हैं वही दूसरे समाज में अनुप्युक्त साबति होते हैं, तथा जो एक समय काल के लिए उप्युक्त हैं

वही दूसरे समय काल में अनुप्युक्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर पूँजीवाद समाज के नियम और संविधान, साम्यवादी समाज के अनुकूल नहीं होते, और इसी प्रकार इसका विप्रीत क्रम भी है। क्योंकि हर संविधान रचयिता अपनी प्रवृतित्तयों और झुकाव के अनुरूप क़ानून बनाता है, जिनकी अस्थिरता के अतिरिक्त, उस से बढ़कर और अधिकतर ज्ञान और सभ्यता वाला व्यक्ति आता है और उसका विरोध करता, या उसमें कमी करता, या उसमे बढ़ोतरी करता है। परन्तु इस्लामी धर्म–शास्त्र जैसाकि हम ने उल्लेख किया कि वह ईश्वरीय है जिसका रचयिता सर्व सृष्टि का सृष्टा और रचयिता है जो अपनी सृष्टि के अनुरूप चीज़ों और उनके मामलों को संवारने और स्थापित करने वाली चीज़ों को जानता है, किसी भी मनुष्य को, चाहे उसका पद कितना ही सर्वोच्च क्यों न हो, यह अधिकार नहीं है कि अल्लाह के किसी नियम का विरोध कर सके या उसमें कुछ भी घटा या बढ़ा कर परिवर्तन कर सके, क्योंकि यह सब के लिए अधिकारों की सुरक्षा करता है,

अल्लाह तआला का फरमान है : "**क्या यह लोग फिर से जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? और यक़ीन रखने वालों के लिए अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला और हुक्म करने वाला कौन हो सकता है।**" (सुरतुल मायदा :50)

इस्लाम धर्म एक विकासशील धर्म है जो उसे हर समय एंव स्थान के लिए उप्युक्त बना देता है, इस्लाम धर्म अक़ीदा व इबादात जैसे ईमान, नमाज़ और उसकी रकअतों की संख्या और समय, ज़कात और उसकी मात्रा और जिन चीज़ों में ज़कात अनिवार्य है, रोज़ा और उसका समय, हज्ज और उसका तरीक़ा और समय, हुदूद (धर्म–दण्ड)...इत्यादि के विषय में ऐसे सिद्धान्त, सामान्य नियमों, व्यापक और अटल मूल बातों को लेकर आया है जिन में समय या स्थान के बदलाव से कोई बदलाव नहीं आता है, चुनाँचि जो भी घटनाएं घटती हैं और नयी आवश्यकताएं पेश आती हैं उन्हें क़ुरआन करीम पर पेश किया जाए गा, उसमें जो चीज़ें मिलें गीं

उनके अनुसार कार्य किया जाए गा और उसके अतिरिक्त को छोड़ दिया जाए गा, और अगर उसमें न मिले तो पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सहीह हदीसों में तलाश किया जाए गा, उसमें जो मिले गा उसके अनुसार कार्य किया जाए गा और उसके अतिरिक्त को छोड़ दिया जाए गा, और अगर उसमें भी न मिले तो हर समय और स्थान पर मौजूद रब्बानी उलमा (धर्म ज्ञानी) उसके विषय में विचार और खोज के लिए इज्तिहाद करें गे, जिस में सार्वजनिक हित पाया जाता हो और उनके समय की आवश्यकताओं और समाज के मामलों के उप्युक्त हो, और वह इस प्राकर कि कुर्आन और हदीस की संभावित बातों में गौर करके और नये पेश आने वाले मामलों को कुरआन और हदीस से बनाए गये क़ानून साज़ी के सामान्य नियमों पर पेश करके, उदाहरण के तौर पर यह नियम (चीज़ों में असल उनका जाईज़ होना है) तथा (हितों की सुरक्षा) का और (आसानी करने तथा तंगी को समाप्त करने) का नियम, तथा (हानि को मिटाने) का नियम, तथा

(फसाद –भ्रष्टाचार– की जड़ को काटने) का नियम, तथा यह नियम कि (आवश्यकता पड़ने पर निषिद्ध चीज़ें वैध हो जाती हैं) तथा यह नियम कि (आवश्यकता का ऐतबार आवश्यकता की मात्रा भर ही किया जाए गा), तथा यह नियम कि (लाभ उठाने पर हानि को दूर करने को प्राथमिकता प्राप्त है), तथा यह नियम कि (दो हानिकारक चीज़ों में से कम हानिकारक चीज़ को अपनाया जाये गा) तथा यह नियम कि (हानि को हानि के द्वारा नहीं दूर किया जाए गा।) तथा यह नियम कि (सामान्य हानि को रोकने के लिए विशिष्ट हानि को सहन किया जाए गा।) इनके अतिरिक्त अन्य नियम भी हैं। इज्तिहाद से अभिप्राय मन की चाहत और इच्छाओं का पालन नहीं है, बल्कि उसका मक़सद उस चीज़ तक पहुँचना है जिस से मानव का हित और कल्याण हो और साथ ही साथ कुर्आन या हदीस से उसका टक्राव या विरोध न होता हो। और यह इस कारण है ताकि इस्लाम हर काल के साथ साथ क़दम रखे और हर समाज की आवश्यकतओं के साथ चले।

इस्लाम धर्म में उसके नियमों और क़ानूनों के आवेदन में कोई भेदभाव और असमानता नहीं है, सब के सब बराबर हैं, धनी या निर्धन, शरीफ या नीच, राजा या प्रजा, काले या गोरे के बीच कोई अन्तर नहीं, इस शरीअत के लागू करने में सभी एक हैं, चुनाँचि कुरैश का ही उदाहरण ले लीजिए जिनके लिए बनू मख्ज़ूम की एक शरीफ महिला का मामला महत्वपूर्ण बन गया, जिसने चोरी की थी, उन्हों ने चाहा कि उस के ऊपर अनिवार्य धार्मिक दण्ड –चोरी के हद– को समाप्त करने के लिए पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास किसी को मध्यस्थ बनाएं। उन्हों ने आपस में कहा कि इस विषय में अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कौन बात करे गा? उन्हों ने कहा : अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चहेते उसामा बिन ज़ैद के अतिरिक्त कौन इस की हिम्मत कर सकता है। चुनांचे उन्हें लेकर अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आए और उसामा बिन ज़ैद ने इस विषय में आप सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम से बात किया। इस पर अल्लाह के पैग़म्बर का चेहरा बदल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : **"क्या तुम अल्लाह के एक हद –धार्मिक दण्ड– के विषय में सिफारिश कर रहे हो?"**

फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भाषण देने के लिए खड़े हुए। आप ने फरमाया : **"ऐ लोगो ! तुम से पहले जो लोग थे वे इस कारण नष्ट कर दिए गए कि जब उन में कोई शरीफ चोरी करता तो उसे छोड़ देते, और जब उन में कोई कमज़ोर चोरी कर लेता तो उस पर दण्ड लागु करत थे। उस हस्ती की सौगन्ध! जिस के हाथ में मेरी जान है, यदि मुहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी कर ले, तो मैं उस का हाथ अवश्य काट दूँगा।"** (सहीह मुस्लिम 3/1315 हदीस नं.:1688)

इस्लाम धर्म के स्रोत असली और उसके नुसूस (ग्रंथ) कमी व बेशी और परिवर्तन व बदलाव और विरूपण से पवित्र हैं, इस्लामी शरीअत के मूल्य स्रोत यह हैं :

1. कुर्आन करीम

2. नबी की सुन्नत (हदीस)

1– कुर्आन करीम जब से मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म पर उतरा है, उसी समय से लेकर आज हमारे समय तक अपने अक्षरों, आयतों और सूरतों के साथ मौजूद है, उसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन, विरूपण, कमी और बेशी नहीं हुई है, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अली, मुआविया, उबै बिन कअब और ज़ैद बिन साबित जैसे बड़े–बड़े सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को वह्य के लिखने के लिए नियुक्त कर रखा था, और जब भी कोई आयत उतरती तो इन्हें उस को लिखने का आदेश देते और सूरत में किस स्थान पर लिखी जानी है, उसे भी बता देते थे। चुनाँचि कुर्आन को किताबों में सुरक्षित कर दिया गया और लोगों के सीनों में भी सुरक्षित कर दिया गया। मुसलमान अल्लाह की किताब के बहुत सख्त हरीस (लालसी और इच्छुक) रहे हैं, चुनाँचि वे उस भलाई और अच्छाई को प्राप्त करने के लिए जिसकी सूचना पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने निम्न कथन के

द्वारा दी है, उसके सीखने और सिखाने की ओर जल्दी करते थे, आप का फरमान है : **"तुम में सब से श्रेष्ठ वह है जो कुर्आन सीखे और सिखाए।"** (सहीह बुखारी 4/1919 हदीस नं.:4739)

कुर्आन की सेवा करने, उसकी देख–रेख करने और उसकी सुरक्षा करने के मार्ग में वो अपने जान व माल की बाज़ी लगा देते थे, इस प्रकार मुसलमान एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को उसे पहुँचाते रहे, क्योंकि उसको याद करना और उसकी तिलावत करना अल्लाह की इबादत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : **"जिसने अल्लाह की किताब का एक अक्षर पढ़ा, उसके लिए उसके बदले एक नेकी है, और नेकी को (कम से कम) उसके दस गुना बढ़ा दिया जाता है, मैं नहीं कहता कि (الـم) अलिफ–लाम्मीम एक अक्षर है बल्कि अलिफ एक अक्षर है, मीम एक अक्षर है और लाम एक अक्षर है।"** (सुनन तिर्मिज़ी 5/175 हदीस नं. :2910)

2– नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत अर्थात् हदीस शरीफ जो कि इस्लामी क़ानून साज़ी का दूसरा स्रोत, तथा क़ुरआन को स्पष्ट करने वाली और क़ुरआन करीम के बहुत से अहकाम की व्याख्या करने वाली है, यह भी छेड़छाड़, गढ़ने, और उसमें ऐसी बातें भरने से जो उसमें से नहीं है, सुरक्षित है क्योंकि अल्लाह तआला ने विश्वसनीय और भरोसेमंद आदमियों के द्वारा इस की सुरक्षा की है जिन्हों ने अपने आप को और अपने जीवन को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों के अध्ययन और उनकी सनदों और मतनों और उनके सहीह या ज़ईफ होने, उनके रावियों (बयान करने वालों) के हालात और जरह व तादील (भरोसेमंद और विश्वसनीय या अविश्वसनीय होने) में उनकी श्रेणियों का अध्ययन करने में समर्पित कर दिया था। उन्हों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित सभी हदीसों को छान डाला और उन्हीं हदीसों को साबित रखा जो प्रमाणित रूप से वर्णित हैं, और वह हमारे पास झूठी हदीसों से खाली और पवित्र होकर पहुँची हैं। जो

व्यक्ति उस तरीक़े की जानकारी चाहता है जिस के द्वारा हदीस की सुरक्षा की गई है वह मुस्तलहुल–हदीस (हदीस के सिद्धांतों का विज्ञान) की किताबों को देखे जो विज्ञान हदीस की सेवा के लिए विशिष्ट है; ताकि उसके लिए यह स्पष्ट हो जाए कि पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जो हदीसें हमारे पास पहुँची हैं उनमें शक करना असम्भव (नामुमकिन) है, तथा उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म की हदीस की सेवा में की जाने वाली प्रयासों की मात्रा का भी पता चल जाए ।

इस्लाम धर्म मूल उत्पत्ति और रचना में समस्त लोगों पुरूष एंव स्त्री, काले एंव गोरे, अरब एंव अजम के बीच बराबरी करता है। चुनाँचि सर्व प्रथम अल्लाह तआला ने प्रथम मनुष्य आदम को पैदा किया और वह सभी मनुष्यों के पिता हैं, फिर उन्हीं से उनकी बीवी (जोड़ी) हव्वा को पैदा किया जो सर्व मानव की माता हैं, फिर उन दोनों

से प्रजनन प्रारम्भ हुआ, अतः मूल मानवता में सभी मनुष्य बराबर हैं, अल्लाह तआला का फरमान है :

"ऐ लोगो ! अपने उस पालनहार से डरो जिस ने तुम को एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा किया और दोनों से बहुत से मर्द–औरत फैला दिए और उस अल्लाह से डरो जिस के नाम पर एक–दूसरे से माँगते हो और रिश्ता तोड़ने से (भी बचो)।" (सूरतुन–निसा :1)

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने तुम से जाहिलियत के समय काल के घमंड और बाप–दादा पर गर्व को समाप्त कर दिया है, मनुष्य या तो संयमी मोमिन है या बदकार अभागा है, सभी मानव आदम के बेटे हैं और आदम मिट्टी से बने हैं।" (मुस्नद अहमद 2/361 हदीस नं.:8721)

अतः जो भी मनुष्य इस धरती पर पर पैदा हुवा है और भविष्य में पैदा होगा वह आदम ही के वंश और नसल

से है, और उन सब का आरम्भ एक ही धर्म और एक ही भाषा के मातहत हुवा था किन्तु वे अपनी बाहुल्यता और अधिकता के साथ–साथ धरती में फैल गए और अनेक भागों और छेत्रों में बिखर गए, चुनाँचि इस फैलाव और बिखराव का प्राकृतिक अपरिहार्य परिणाम यह हुआ कि लोगों की भाषाओं, रंगों और प्रकृतियों में भिन्नता पैदा हो गई, और यह भी उन पर पर्यावरण के प्रभाव का परिहार्य (अनिवार्य) परिणाम है, चुनाँचि इस अंतर और भिन्नता के परिणाम स्वरूप सोच के तरीक़े और जीने के तरीक़े, तथा विश्वासों में भी अंतर पैदा हो गया, अल्लाह तआला का फरमान है :

''और सभी लोग एक ही उम्मत (समुदाय) के थे, फिर उन्हों ने इख्तिलाफ (मतभेद) पैदा किये, और अगर एक बात न होती जो आप के रब की तरफ़ से मुक़र्रर की जा चुकी है, तो जिस चीज़ में यह इख़्तिलाफ कर रहे हैं उसका पूरी तरह से फैसला हो चुका होता।'' (सूरत यूनुस :19)

इस्लाम दया, करूणा और मेहरबानी का धर्म है जिसने अपनी शिक्षाओं में क्रूरता और सख़्ती को त्यागने की दावत दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "**दया करने वालों पर अति दयालू अल्लाह तबारका व तआला दया करता है, तुम धरती वालों पर दया करो, आकाश वाला तुम पर दया करे गा।**" (सहीह सुनन तिर्मिज़ी)

तथा फरमाया : "**जो दया नहीं करता उस पर दया नहीं की जाती।**" (बुखारी व मुस्लिम)

इस्लाम ने केवल मनुष्यों पर दया और करूणा करने की दावत नहीं दी है, बल्कि यह इस से भी अधिक सामान्य है तथा जानवरों तक को भी सम्मिलित है, चुनाँचि इसी के कारण एक महिला नरक में दाखिल होगई, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "**एक औरत को एक बिल्ली के कारण यातना –सज़ा– मिली, जिसे उस ने क़ैद कर दिया था यहाँ तक कि वह मर गई, जिस के कारण वह**

नरक में दाखिल हुई। जब उसने उसे बंद कर दिया तो उसे न खिलाया न पिलाया, और न ही उसे छोड़ा कि ज़मीन के कीड़े–मकोड़े खा सके।''
(सहीह बुखारी 3/1284 हदीस नं.:3295)

ज्ञात हुवा कि जानवरों पर दया करना गुनाहों के क्षमा हो जाने और जन्नत में जाने का कारण है : पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

''एक आदमी रस्ते में चल रहा था कि वह सख्त प्यासा हो गया, उसे एक कुंवाँ मिला, चुनाँचे वह उस में उतर गया और पानी पी कर बाहर निकल आया। सहसा उसे एक कुत्ता दिखाई दिया जो हाँप रहा था और प्यास से कीचड़ खा रहा था। उस आदमी ने कहाः इस कुत्ते को वैसे ही प्यास लगी है जैसे मेरा प्यास से बुरा हाल था। चुनाँचे वह कुंवे में उतरा, अपने चमड़े के मोज़े में पानी भरा फिर उसे अपने मुँह से पकड़ लिया यहाँ तक कि ऊपर चढ़ गया और कुत्ते को सेराब किया। अल्लाह तआला ने उस के इस प्रयास को स्वीकार कर लिया

और उसे क्षमा कर दिया।" सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के पैग़म्बर! इन चौपायों में भी हमारे लिए अज्र व सवाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः **"हर जानदार कलेजे में अज्र (पुण्य) है।"** (सहीह बुखारी 2/870 हदीस नं.:2334)

जब जानवरों पर इस्लाम की दया का यह हाल है तो फिर मुनष्यों पर उसकी दया के बारे में आप का क्या विचार है जिसे अल्लाह तआला ने समस्त सृष्टि पर प्रतिष्ठा और विशेषता प्रदान किया है और उसे सम्मान दिया है, अल्लाह तआला का फरमान है : "और निःसन्देह हम ने आदम की सन्तान को बड़ा सम्मान दिया, और उन्हें थल और जल की सवारियाँ दीं, और उन्हें पाक चीज़ों से रोज़ी दिया और अपनी बहुत सी मख़्लूक़ पर उन्हें फज़ीलत (प्रतिष्ठा) प्रदान की।" (सूरतुल इस्रा :70)

इस्लाम धर्म आत्म नियंत्रण का धर्म है, जो एक मुसलमान को इस बात पर उभारता है कि वह अपने

सभी कृत्यों और कथनों में अल्लाह की प्रसन्नता और खुशी को हासिल करने का प्रयास करता है, और उस को क्रोधित करने वाली चीज़ों को करने से बचाव करता है, क्योंकि वह जानता है कि अल्लाह तआला उसका निरीक्षण कर रहा है और उस पर अवगत है, अतः जिस चीज़ का अल्लाह ने उसे आदेश दिया है, वह उसे करता है और हर उस चीज़ से जिस से उसने रोका है, दूर रहता है। चुनाँचि जब एक मुसलमान चोरी से बचता है, तो वह उसे अल्ला के डर से छोड़ता है, सुरक्षा कर्मी के डर से नहीं छोड़ता है, उसका यही मामला अन्य अपराधों के साथ होता है। इस्लाम की शिक्षाएं मुसलमान को इस बात का प्रशिक्षण देती हैं कि उसका प्रोक्ष और प्रत्यक्ष (रहस्य और सार्वजनिक या अन्दर और बाहर) एक जैसा हो, अल्लाह तआला का फरमान है :''अगर तू ऊँची बात कहे तो वह हर छुपी और छुपी से छुपी चीज़ को अच्छी तरह जानता है।'' (सूरत ताहा :7)

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एहसान के बारे में फरमाया :"तुम अल्लाह की इबादत इस प्रकार करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, अगर तुम से ऐसा अनुभव न हो सके तो वह तो निःसन्देह तुम्हें देख (ही) रहा है।" (सहीह बुखारी 1/27 हदीस नं.:50)

इस्लाम ने आत्म नियंत्रण के सिद्धांत को नियमित करने के लिए निम्नलिखित बातों का पालन किया है :

प्रथम : एक ऐसे पूज्य (परमेश्वर) के वजूद पर विश्वास रखना जो शक्तिवान, अपनी ज़ात और गुणों में कामिल, और इस ब्रह्मांड में होने वाली चीज़ों को जानने वाला है, अतः वही चीज़ घटती है जो वह चाहता है, अल्लाह तआला का फरमान है :

"वह (अच्छी तरह) जानता है उस चीज़ को जो धरती में जाये और जो उस से निकले, और जो आकाश से नीचे आये और जो कुछ चढ़कर उस में जाये और जहाँ कहीं तुम हो वह तुम्हारे साथ है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह देख रहा है।" (सूरतुल–हदीद :4)

बल्कि उसका ज्ञान देखी और महसूस की जाने वाली भौतिक चीज़ों से आगे निकल कर दिल के अन्दर खटकने वाली बातों और वसवसों को भी घेरे हुए है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''हम ने मनुष्य को पैदा किया है और उस के दिल में जो विचार पैदा होते हैं हम उन्हें जानते हैं, और हम उसके प्राणनाणी से भी अधिक क़रीब हैं।'' (सूरतुल क़ाफ :16)

दूसरा : मरने के बाद पुनः ज़िन्दा किये जाने और उठाये जाने पर विश्वास रखना, अल्लाह तआला का फरमान है : ''...वह तुम सबको ज़रूर क़ियामत के दिन जमा करेगा।'' (सूरतुन निसा :87)

तीसरा : इस बात पर विश्वास रखना कि प्रत्येक व्यक्ति का हिसाब व्यक्तिगत रूप से होगा, अल्लाह तआला का फरमान है कि : ''कोई व्यक्ति किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाये गा।'' (सूरतुन्नज्म :38)

चुनाँचि हर आदमी अल्लाह के सामने अपने हर छोटे–बड़े और अच्छे–बुरे कामों अैर कथनों पर हिसाब

देने का बाध्य है, अतः वह भलाई पर नेकियों के द्वारा और बुराई पर गुनाहों के द्वारा बदला दिया जाये गा, अल्लाह तआला का फरमान है :

"जो व्यक्ति एक कण के बराबर अच्छाई करे गा वह उसे देख लेगा, और जो आदमी एक कण के बराबर बुराई करे गा, वह उसे देख लेगा।" (सूरतुज़्ज़लज़ला :7–8)

चौथा : अल्लाह और उसके रसूल की फरमांबरदारी और उनकी महब्बत को उनके सिवाय हर एक पर प्राथमिकता और वरीयता देना, चाहे वह कोई भी हो, अल्लाह तआला का फरमान है : "आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे वंश और कमाया हुआ धन और वह तिजारत जिसकी कमी से तुम डरते हो, और वे घर जिन्हें तुम प्यारा रखते हो (अगर) यह तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद से अधिक प्यारा है, तो तुम इंतिज़ार करो कि

अल्लाह अपना अज़ाब ले आए, अल्लाह तआला फासिक़ों को रास्ता नहीं दिखाता है।'' (सूरतुत्तौबा :24)

इस्लाम धर्म विशुद्ध फित्रत (प्रकृति) का धर्म है जिसका उस मानव प्रकृति से कोई टकराव नहीं है जिस पर अल्लाह तआला ने उसे पैदा किया है, और इसी प्रकृति पर अल्लाह तआला ने सभी लोगों को पैदा किया है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''यह अल्लाह की वह फित्रत है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है, और अल्लाह की रचना में कोई बदलाव नहीं हो सकता।'' (सूरतुर्रूम :30)

किन्तु इस फित्रत को उसके आस–पास के कारक कभी प्रभावित कर देते हैं, जिसके कारण वह अपनी शुद्ध पटरी से हट जाती है और पथ–भ्रष्ट हो जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

प्रत्येक पैदा होने वाला –षिषु– (इस्लाम) की फित्रत (प्रकृति) पर जन्म लेता है, फिर उसके माता–पिता

उसे यहूदी बना देते हैं या ईसाई बना देते हैं या मजूसी (पारसी) बना देते हैं। (सहीह बुखारी)

तथा वही सीधे रास्ते का धर्म है, अल्लाह तआला ने फरमाया :

"आप कह दीजिए कि मुझे मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बता दिया है कि वह एक मुस्तहकम दीन है जो तरीक़ा है इब्राहीम का, जो अल्लाह की तरफ यकसू थे और वह मुश्रिकों में न थे।" (सूरतुल अंआम :161)

अतः इस्लाम में ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बुद्धि स्वीकार न करती हो, बल्कि विशुद्ध बुद्धियाँ इस बात की गवाह हैं कि इस्लाम की लाई हुई बातें सच्ची, उचित और लाभप्रद हैं, चुनाँचे उसके आदेश और प्रतिषेध सब के सब न्यायपूर्ण है उनमें ज़ुल्म नहीं है, उसने जिस चीज़ का भी आदेश दिया है उसके अन्दर मात्र हित और लाभ ही है या हित और लाभ अधिक है, और जिस चीज़ से भी रोका है उसके अन्दर मात्र

बुराई ही है या बुराई उसके अन्दर मौजूद अच्छाई से बढ़कर है। कुर्आन की आयतों और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों में गौर करने वाले के लिए यह तथ्य कोई रहस्य नहीं है।

इस्लाम धर्म ने मानवता को अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की दासता और उपासना से मुक्त कर दिया है, चाहे वह अल्लाह का भेजा हुआ कोई ईश्दूत या निकटवर्ती फरिश्ता ही क्यों न हो, इस प्रकार कि उसने इन्सान के दिल में ईमान (विश्वास) को समाविष्ट कर दिया है, अतः अल्लाह के अलावा किसी का कोई भय नहीं और अल्लाह के अतिक्ति कोई लाभ या हानि पहुँचाने वाला नहीं, कोई कितना ही महान क्यों न हो किसी को हानि या लाभ नहीं पहुँचा सकता और किसी से न कोई चीज़ रोक सकता है और न ही प्रदान कर सकता है सिवाय उस चीज़ के जिसका अल्लाह तआला ने फैसला कर दिया हो और उसकी चाहत के अनुसार हो। अल्लाह तआला का

फरमान है : "**उन लोगों ने अल्लाह के अतिरिक्त ऐसे पूजा पात्र बना रखे हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वह स्वयं पैदा किए जाते हैं, यह तो अपने प्राण के लिए हानि और लाभ का भी अधिकार नहीं रखते और न मृत्यु और जीवन के और न पुनः जीवित होने के वह मालिक हैं।**" (सूरतुल—फुर्क़ान:3)

अतः सारा मामला अल्लाह ही के हाथ में है, अल्लाह तआला फरमाता है :

"और अगर तुम को अल्लाह कोई दुख पहुँचाये तो सिवाय उसके कोई दूसरा उस को दूर करने वाला नहीं है, और अगर वह तुम्हें कोई सुख पहुँचाना चाहे तो उसके फज़्ल को कोई हटाने वाला नहीं, वह अपने फज़्ल को अपने बन्दों में से जिस पर चाहे निछावर कर दे और वह बड़ा बख़्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है।" (सूरत यूनुस :107)

जब पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का भी, जिनका अल्लाह के यहाँ इतना बड़ा पद और महान स्थान है, वही मामला है जो अन्य लोगों का है तो फिर दूसरे के बारे में आप का क्या विचार है, अल्लाह तआला का फरमान है :

"आप कह दीजिए कि मैं स्वयं अपने नफ्स (आप) के लिए किसी लाभ का अधिकार नहीं रखता और न किसी हानि का, किन्तु उतना ही जितना अल्लाह ने चाहा हो, और यदि मैं प्रोक्ष की बातें जानता होता तो बहुत से लाभ प्राप्त कर लेता और मुझ को कोई हानि न पहुंचती, मैं तो केवल डराने वाला और शुभ सूचना देने वाला हूँ उन लोगों को जो ईमान रखते हैं। (सूरतुल–आराफः 188)

इस्लाम धर्म दीन और दुनिया के सभी मामलों में संतुलित और औसत धर्म है, अल्लाह तआला ने फरमाया : "और हम ने इसी तरह तुम्हें बीच की (संतुलित) उम्मत बनाया है, ताकि तुम लोगों पर

गवाह हो जाओ, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तुम पर गवाह हो जायें।'' (सूरतुल बक़रा : 143)

इस्लाम आसानी और सहजता का धर्म है, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : ''अल्लाह तआला ने मुझे सख्ती करने वाला और कष्ट में डालने वाला बनाकर नहीं भेजा है, बल्कि मुझे आसानी करने वाला शिक्षक बना कर भेजा है।'' (सहीह मुस्लिम 2/1104 हदीस नं.:1478)

इस्लाम की शिक्षाएं आसानी करने पर उभारती और बल देती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''शुभ सूचना दो, नफरत न दिलाओं, आसानी करो, कष्ट में न डालो।'' (सहीह मुस्लिम 3/1358 हदीस नं. :1732)

इस्लाम नरमी करने, माफ कर देने और सहनशीलता का धर्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पत्नी आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है वह कहती हैं

कि : यहूद की एक जमाअत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आई, और उन्हों ने कहा : 'अस्सामो अलैकुम', यानी तुम्हारी मौत आए। आईशा कहती हैं कि मैं इसे समझ गई, और उन्हों ने कहा: 'व अलैकुमुस्सामो वल्ला'नह' यानी तुम्हारी मौत आए और तुम पर धिक्कार हो। वह कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा : "ऐ आईशा! रूक जाओ, अल्लाह तआला सभी मामले में नरमी करने वाले को पसन्द करता है।" तो मैं ने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल क्या आप ने नहीं सुना कि उन लोगों ने क्या कहा है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : मैं ने उत्तर दिया है कि 'व–अलैकुम' यानी तुम पर भी।" (सहीह बुखारी हदीस नं.:6024)

इस्लाम धर्म अन्य आसमानी धर्मों का सम्मान करता है और मुसलमानों पर उन पर ईमान रखना आवश्यक क़रार देता है, और उसे इस बात का आदेश देता है

कि वह उन रसूलों का आदर–सम्मान करे और उन से महब्बत करे जिन पर वो धर्म अवतरित हुए थे, अल्लाह तआला का फरमान है : ''बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से इन्कार करते हैं और अल्लाह और उसके रसूलों में तफ़रक़ा डालना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बाज़ (पैग़म्बरों) पर ईमान लाए हैं और बाज़ का इन्कार करते हैं और चाहते हैं कि इस (कुफ़्र व ईमान) के दरमियान एक दूसरी राह निकालें, यही लोग हक़ीक़तन काफ़िर हैं और हमने काफ़िरों के वास्ते ज़िल्लत देने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है।'' (सूरतुन्निसा :151–152)

तथा इस्लाम दूसरें के अक़ीदों, आस्थाओं और मान्यताओं को बुरा कहने से रोकता है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''और ये (मुश्रेकीन) जिन की अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं उन्हें तुम बुरा न कहा करो वर्ना ये लोग भी ख़ुदा को बिना समझें अदावत से बुरा–भला न कह बैठें।'' (सूरतुल अंआम :109)

तथा अपने प्रतिरोधियों और विरोधकों से हिकमत और नरमी के साथ बहस करने का हुक्म देता है, अल्लाह तआला का फरमान है : "तुम (लोगों को) अपने परवरदिगार की राह पर हिकमत और अच्छी अच्छी नसीहत के ज़रिए से बुलाओ और उनसे बहस व मुबाहसा इस तरीक़े से करो जो लोगों के नज़दीक सबसे अच्छा हो इसमें शक नहीं कि जो लोग अल्लाह की राह से भटक गए उनको तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है।" (सरतुन नह्ल :125)

और ऐसी सार्थक बातचीत की ओर बुलाता है जो ईश्वारीय पाठ्यक्रम पर लोगों को एकजुट करता है, अल्लाह तआला का फरमान है : "(ऐ रसूल) आप (उनसे) कह दीजिए कि ऐ अहले किताब तुम ऐसी (ठिकाने की) बात पर तो आओ जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी चीज़ को उसका शरीक न बनाएं और अल्लाह के सिवा हम में से कोई किसी को अपना

परवरदिगार न बनाए अगर इससे भी मुँह मोड़ें तो तुम गवाह रहना हम (अल्लाह के) फ़रमांबरदार हैं।" (सूरत आल इम्रान :64)

इस्लाम धर्म व्यापक शांति का धर्म है जितना कि यह शब्द अपने अन्दर अर्थ रखता है, चाहे उसका संबंध मुस्लिम समाज के घरेलू स्तर से हो, जैसाकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "क्या मैं तुम्हें मोमिन के बारे में सूचना न दूँ? जिस से लोग अपने मालों और जानों पर सुरक्षित हों, और मुसलमान वह जिस की जुबान और हाथ से लोग सुरक्षित हों, और मुजाहिद वह है जो अल्लाह की फरमांबरदारी में अपने नफ्स से जिहाद (संघर्ष) करे, और मुहाजिर वह है जो गुनाहों को छोड़ दे।" (सहीह इब्ने हिब्बान 11/203 हदीस नं.:4862)

या उसका संबंध वैश्विक स्तर से हो जो मुस्लिम समाज और अन्य समुदायों, विशेषकर वो समाज जो धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करते या उसके प्रकाशन में

रूकावट नहीं बनते हैं, के बीच सुरक्षा, स्थिरता और अनाक्रमण पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पर आधारित हो, अल्लाह तआला का फरमान है : ''ऐ ईमान वालों! तुम सबके सब इस्लाम में पूरी तरह दाख़िल हो जाओ और शैतान के क़दम ब क़दम न चलो, वह तुम्हारा यक़ीनन खुला दुष्मन है।'' (सूरतुल बक़रा :208)

तथा इस्लाम ने शांति को बनाए रखने और उसकी स्थिरता को जारी रखने के लिए अपने मानने वालों को आक्रमण का जवाब देने और अन्याया का विरोध करने का हुक्म दिया है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''पस जो शख़्स तुम पर ज़्यादती करे तो जैसी ज़्यादती उसने तुम पर की है वैसी ही ज़्यादती तुम भी उस पर करो।'' (सूरतुल बक़रा :194)

तथा इस्लाम ने शांति को प्रिय रखने के कारण, अपने मानने वालों को युद्ध की अवस्था में, यदि शत्रु संधि की मांग करे, तो उसे स्वीकार कर लेने और लड़ाई बंद कर

देने का आदेश दिया है, अल्लाह तआला का फरमान है : "और अगर ये कुफ्फार सुलह की तरफ मायल हों तो तुम भी उसकी तरफ मायल हो और अल्लाह पर भरोसा रखो (क्योंकि) वह बेषक (सब कुछ) सुनता जानता है।" (सूरतुल अनफाल :61)

इस्लाम अपनी शांति प्रियता के साथ साथ अपने मानने वालों से यह नहीं चाहता है कि वो शांति के रास्ते में अपमानता उठायें या उनकी मर्यादा क्षीण हो, बल्कि उन्हें इस बात का हुक्म देता है कि वह अपनी इज़्ज़त और मर्यादा को सुरक्षित रखने के साथ–साथ शांति को बनाये रखें, अल्लाह तआला का फरमान है : "तो तुम हिम्मत न हारो और (दुषमनों को) सुलह की दावत न दो, तुम ग़ालिब हो ही और अल्लाह तो तुम्हारे साथ है और हरगिज़ तुम्हारे आमाल को बरबाद न करेगा।" (सूरत मुहम्मद :35)

इस्लाम धर्म में इस्लाम स्वीकार करने करने की बाबत किसी पर कोई ज़ोर–ज़बरदस्ती नहीं है, बल्कि उसका

इस्लाम स्वीकारना उसके दृढ़ विश्वास और सन्तुष्टि पर आधारित होना चाहिए। क्योंकि जब्र करना और दबाव बनाना इस्लाम की शिक्षाओं को फैलाने का तरीक़ा नहीं है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''दीन में किसी तरह की जबरदस्ती (दबाव) नहीं क्योंकि हिदायत गुमराही से (अलग) ज़ाहिर हो चुकी है।'' (सूरतुल बक़रा :256)

जब लोगों तक इस्लाम का निमन्त्रण पहुँच जाये और उसे उनके सामने स्पष्ट कर दिया जाये, तो इसके बाद उन्हें उसके स्वीकार करने या न करने की आज़ादी है, क्योंकि इस्लाम का मानना यह है कि मनुष्य उसके निमन्त्रण को क़बूल करने या रद्द कर देने के लिए आज़ाद है। अल्लाह तआला का फरमान है : ''बस जो चाहे माने और जो चाहे न माने।'' (सूरतुल कहफ :29)

क्योंकि ईमान और हिदायत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह तआला का फरमान है: ''और (ऐ पैग़म्बर) अगर तेरा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग ज़मीन पर हैं

सबके सब ईमान ले आते तो क्या तुम लोगों पर ज़बरदस्ती करना चाहते हो ताकि सबके सब मोमिन हो जाएँ।'' (सूरत यूनुस :99)

तथा इस्लाम की अच्छाईयों में से यह भी है कि उसने अपने विरोधी अह्ले किताब (यानी यहूदी व ईसाई) को अपने धार्मिक संस्कार को करने की आज़ादी दी है, अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं : ''...तुम्हारा गुज़र ऐसे लोगों से होगा जिन्हों ने अपने आप को कुटियों में तपस्या के लिए अलग–थलग कर लिया होगा, तो तुम उनको और जिस काम में वे लगे हुए होंगे, उसे छोड़ देना।'' (तबरी 3/226)

तथा उनके धर्म ने उनके लिए जिन चीज़ों का खाना पीना वैध ठहराया है, उन्हें उन चीज़ों के खाने पीने की आज़ादी दी गई है, इसलिए उनके सुवरों को नहीं मारा जायेगा, उनके शराबों को नहीं उंडेला जाये गा, और जहाँ तक नागरिक मामलों का संबंध है जैसे शादी–विवाह, तलाक़, वित्तीय लेनदेन, तो उनके लिए

उस चीज़ को अपनाने और लागू करने की आज़ादी है जिसका पर वो विश्वास रखते हैं, और इसके लिए कुछ शर्तें और नियम हैं जिसे इस्लाम ने बयान किया है, जिन के उल्लेख करने का यह अवसर नहीं है।

इस्लाम धर्म ने महिला के स्थान को ऊँचा किया है और उसे सम्मान प्रदान किया है, और उसका सम्मान करने को संपूर्ण, श्रेष्ठ और विशुद्ध व्यक्तित्व की पहचान ठहराया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ''सब से अधिक संपूर्ण ईमान वाला आदमी वह है जिसके अख्लाक़ सब से अच्छे हों, और तुम में से सर्व श्रेष्ठ आदमी वह है जो अपनी औरतों के लिए सब से अच्छा हो।'' (सहीह इब्ने हिब्बान 9/483 हदीस नं. :4176)

इस्लाम ने महिला की मानवता की सुरक्षा की है, अतः वह गलती (पाप) का स्रोत नहीं है, न ही वह आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकलने का कारण है जैसाकि पिछले धर्मों के गुरू कहते हैं, अल्लाह तआला

का फरमान है : ''ऐ लोगो! अपने उस पालनहार से डरो जिस ने तुम को एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा किया और दोनों से बहुत से मर्द–औरत फैला दिए और उस अल्लाह से डरो जिस के नाम पर एक–दूसरे से माँगते हो और रिश्ता तोड़ने से (भी बचो)।'' (सूरतुन–निसा :1)

तथा इस्लाम ने महिलाओं के विषय में जो अन्यायिक क़ानून प्रचलित थे, उन्हें निरस्त कर दिया, विशेष कर जो महिला को पुरूष से कमतर समझा जाता था, जिस के परिणाम स्वरूप उसे बहुत सारे मानवाधिकारों से वंचित होना पड़ता था, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं :**''महिलाएं, पुरूषों के समान हैं।''** (सुनन अबू दाऊद 1/61 हदीस नं.:236)

तथा उसके सतीत्व की सुरक्षा की है और उसके सम्मान की हिफाज़त की है, चुनाँचि उस पर आरोप लगाने और उसकी सतीत्व को छति पहुँचाने पर आरोप का दण्ड लगाने का हुक्म दिया है, अल्लाह तआला ने फरमाया :

“और जो लोग पाक दामन औरतों पर (ज़िना का) आरोप लगाएँ फिर (अपने दावे पर) चार गवाह पेष न करें तो उन्हें अस्सी कोड़े मारो और फिर कभी उनकी गवाही क़बूल न करो और (याद रखो कि) ये लोग खुद बदकार हैं।” (सूरतुन्नूर :4)

तथा वरासत में उसके अधिकार की ज़मानत दी है जिस प्रकार कि मर्दों का हक़ है, जबकि इस से पहले वह वरासत से वंचित थी, अल्लाह ताअल का फरमान है: “माँ बाप और क़राबत्दारों के तर्के में कुछ हिस्सा ख़ास मर्दों का है और उसी तरह माँ बाप और क़राबतदारों के तरके में कुछ हिस्सा ख़ास औरतों का भी है ख़्वाह तर्का कम हो या ज़्यादा (हर शख़्स का) हिस्सा (हमारी तरफ़ से) मुक़र्रर किया हुआ है।” (सूरतुन्निसा :7)

तथा उसे पूर्ण योग्यता, आर्थिक मामलों जैसे किसी चीज़ का मालिक बनना, क्रय–विक्रय और इसके समान अन्य मामलों में बिना किसी के निरीक्षण या उसके तसर्रुफात को सीमित किए बिना, उसे तसर्रुफ करने की आज़ादी

दी है, सिवाय उस चीज़ के जिस में शरीअत का विरोध हो, अल्लाह तआला का फरमान है: ''ऐ ईमान वालों अपनी पाक कमाई में से ख़र्च करो।'' (सूरतुल बक़रा :267)

तथा उसे शिक्षा देने को अनिवार्य किया है, पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''इल्म को प्राप्त करना हर मुसलमान पर अनिवार्य है।'' (सुनन इब्ने माजा 1/81 हदीस नं.:224)

इसी प्रकार उसकी अच्छी तरबियत (प्रशिक्षण) का हुक्म दिया है और उसे जन्नत में जाने का कारण बताया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''जिसने तीन लड़कियों की किफालत की, फिर उनको प्रशिक्षित किया, उनकी शादियाँ कर दी और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया तो उसके लिए जन्नत है।'' (सुनन अबू दाऊद 3/338 हदीस नं.: 5147)

इस्लाम धर्म पवित्रता और सफाई–सुथराई का धर्म है:

अल्लाह तआला का फरमान है : "ऐ ईमानदारो! जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो तो अपने मुँह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो और अपने सिर का मसह कर लिया करो और टखनों तक अपने पाँवों को धो लिया करो और अगर तुम हालते जनाबत में हो तो तुम तहारत (गुस्ल) कर लो (हाँ) और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई पाख़ाना करके आए या औरतों से हमबिस्तरी की हो और तुमको पानी न मिल सके तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो यानी (दोनों हाथ धरती पर मारकर) उससे अपने मुँह और अपने हाथों का मसह कर लो, अल्लाह तो ये चाहता ही नहीं कि तुम पर किसी तरह की तंगी करे बल्कि वह यह चाहता है कि तुम्हें पाक व पाकीज़ा कर दे और तुम पर अपनी ने'मतें पूरी कर दे ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ।" (सूरतुल माईदा :6)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : यह आयत

कुबा वालों के बारे में उतरी : ''उस में ऐसे लोग हैं जो अधिक पवित्रता को पसंद करते हैं और अल्लाह तआला भी पवित्रता हासलि करने वालों को पसंद करता है।'' (सूरतुत्तौबा :108) आप ने फरमाया : वो लोग पानी से इस्तिंजा करते थे तो उनके बारे में यह आयत उतरी।'' (सुनन तिर्मिज़ी :5/280 हदीस नं.:3100)

इस्लाम धर्म ने मीरास का ऐसा नियम प्रस्तुत किया है जो मृतक के उन वारिसों पर जिनका मीरास के अन्दर अधिकार है चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, वरासत (मृतक के क़र्ज़ की अदायगी और वसीयत पूरी करने के बाद बचा हुआ तर्का) को न्यायपूर्ण पसंदीदा ढंग से अच्छी तरह बांटता है, जिसकी यथार्थता की शहादत विशुद्ध और स्वस्थ बुद्धि के लोग देते हैं, इस मीरास को धन वाले मृतक व्यक्ति से दूरी और नज़दीकी और लाभ के एतिबार से बांटा जाता है, चुनाँचि किसी को अपनी इच्छा और खाहिश के अनुसार मीरास को बांटने का अधिकार नहीं है, इस

व्यवस्था की अच्छाईयों में यह है कि वह धनों को चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो उन्हें तोड़ कर छोटी–छोटी मिलकियतों में कर देता है, और सम्पत्त्यिों को कुछ निर्धारित लोगों के हाथों में ही एकत्रित रह जाने के मामले को लगभग असम्भव बना देता है, कुरआन करीम ने औलाद, माता–पिता, मियाँ–बीवी और भाईयों के हिस्से बयान किए हैं, जिनके विस्तार का यह अवसर नहीं है, इसके लिए मीरास की किताबों की तरफ रूजूअ् करें।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "अल्लाह तआला ने हर हक़ वाले को उसका हक़ दे दिया है, अतः किसी वारिस के लिए वसीयत नहीं है।" (सुनन अबू दाऊद 3/114 हदीस नं.:2870)

इस्लमाम धर्म ने वसीयत का नियम वैध किया है, जिसके अनुसार मुसलमान के लिए वैध है कि वह अपने मरने के बाद अपने धन को नेकी और भलाई के कामों में लगाने की वसीयत करे, ताकि वह धन उसके मरने

के बाद सद्क़ा जारिया बन जाए, किन्तु इस वसीयत को एक तिहाई धन के साथ सीमित किया गया है, आमिर बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरी अयादत करते थे जबकि मैं मक्का में बीमार था, तो मैं ने कहा कि मेरे पास धन है, क्या मैं अपने पूरे माल की वसीयत कर दूँ? आप ने कहा नहीं, तो मैं ने कहा तो फिर आधे माल की? आप ने फरमाया नहीं, मैं ने कहा तो फिर एक तिहाई की? आप ने फरमाया : एक तिहाई की कर सकते हो और एक तिहाई भी अधिक है, तुम्हारा अपने वारिसों को मालदार छोड़ना इस बात से बेहतर है कि तुम उन्हें मुहताज छोड़ दो, वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें, और तुम कितना भी खर्च कर डालो वह सद्क़ा है यहाँ तक कि अपनी बीवी के मुँह में जो लुक़मा डालते हो (वह भी सद्क़ा है) और शायद अल्लाह तुम्हारी बीमारी को उठा ले और कुछ लोग तुझ से लाभ उठायें और दूसरे लोग नुक़सान।'' (सहीह बुखारी 1/435 हदीस नं.:1233)

तथ वसीयत के अन्दर वारिसों को छति न पहुँचाई जाए, अल्लाह तआला का फरमान है : ''(ये सब) मैइत ने जिसके बारे में वसीयत की है उसकी तामील और (अदाए) क़र्ज़ के बाद, मगर हाँ वह वसीयत (वारिसों को) नुक़्सान पहुँचाने वाली न हो, ये वसीयत अल्लाह की तरफ़ से है।'' (सूरतुन्निसा :12)

इस्लाम धर्म ऐसी दंड संहिता प्रस्तुत करता है जो अपराधों और उसके फैलाव से समाज की सुरक्षा और शांति को सुनिश्चित करता है, चुनाँचि वह खून–खराबा को रोकता है, सतीत्व की सुरक्षा करता है, धनों की हिफाज़त करता है, बुरे लोगों को दबाता है, और लोगों की इस बात से सुरक्षा करता है कि उनमें से एक दूसरे पर आक्रमण करे। इस अपराध की रोक–थाम करता है या उसमें कमी करता है। इसी लिए हम देखते हैं कि इस्लाम ने हर अपराध का एक दंड निर्धारित किया है जो उस अपराध की गम्भीरता के अनुकूल होता है, चुनाँचि जानबूझ कर किसी को क़त्ल कर देने का दंड

यह निर्धारित किया है कि उसे बदले में क़त्ल कर दिया जाए, अल्लाह तआला का फरमान है : ''ऐ मोमिनो! जो लोग (नाहक़) मार डाले जाएँ उनके बदले में तुम को जान के बदले जान लेने का हुक्म दिया जाता है।'' (सूरतुल बक़रा :178)

हाँ, अगर जिसका क़त्ल हुआ है उसके घर वाले उसे माफ कर दें, तो फिर कोई बात नहीं, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है : ''पस जिस (क़ातिल) को उसके ईमानी भाई (तालिबे क़िसास) की तरफ से कुछ माफ़ कर दिया जाये तो उसे भी उसके क़दम ब क़दम नेकी करना और सद्व्यवहार से (खून बहा) अदा कर देना चाहिए।'' (सूरतुल बक़रा :178)

तथा चोरी की सज़ा क़त्ल क़रार दिया है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''और चोर चाहे मर्द हो या औरत, तुम उनके करतूत की सज़ा में उनका (दाहिना) हाथ काट डालो ये (उनकी सज़ा) अल्लाह की तरफ़ से

है और अल्लाह (तो) बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला है।'' (सूरतुल मायदा :38)

जब चोर का पता चलेगा कि चोरी करने पर उसका हाथ काट दिया जाए गा तो वह चोरी करने से रूक जाए गा, इस प्रकार उसका हाथ कटने से बच जाए गा और लोगों के धन भी चोरी से सुरक्षित हो जायें गे।

तथा ज़िना के द्वारा लोगों के आबरू पर आक्रमण करने वाले अविवाहित का दंड कोड़ा लगाना घोषित किया है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाले मर्द इन दोनों में से हर एक को सौ (सौ) कोड़े मारो।'' (सूरतुन्नूर :2)

तथा किसी के सतीत्व पर ज़िना का आरोप लगाने वाले का दंड भी कोड़ा मारना घोषित किया है, अल्लाह तआला ने फरमाया : ''और जो लोग पाक दामन औरतों पर (ज़िना की) तोहमत लगाएँ फिर (अपने दावे पर) चार गवाह पेष न करें तो उन्हें अस्सी कोड़ें मारो।'' (सूरतुन्नूर :4)

इसके बाद शरीअत ने एक सामान्य धार्मिक नियम निर्धारित किया है जिस के आधार पर दंडों को सुनिश्चित किया जाए गा, अल्लाह तआला का फरमान है : ''और बुराई का बदला उसी जैसी बुराई है।'' (सूरतुश्शूरा :40)

तथा अल्लाह तआला का फरमान है : ''और अगर तुम दंड दो तो उतना ही दंड दो जितना तुम्हें कष्ट पहुँचाया गया है।'' (सूरतुन्नह्ल :126)

इन सज़ाओं और दंडों को लागू करने की कुछ शर्तें और ज़ाबते हैं, जबकि ज्ञात होना चाहिए कि इस्लाम ने इन सज़ाओं को लागू करना आवाश्यक ही नही क़रार दिया है बल्कि मानवाधिकार में माफी और क्षमा के सामने रास्ते को खुला छोड़ा है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''और जो माफ कर दे और सुधार कर ले तो उसका बदला अल्लाह के ऊपर है।'' (सूरतुश्शूरा :40)

इन सज़ाओं और दंडों को लागू करने से इस्लाम का उद्देश्य बदला और हिंसा–प्रियता नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य लोगों के अधिकारों की सुरक्षा, समाज में शांति और संतोष पैदा करना और उसकी सुरक्षा करना और उसकी शांति और स्थिरता से खिलवाड़ करने वाले को रोकना है, जब हत्यारे को पता चल जायेगा कि उसकी भी हत्या कर दी जाए गी, जब चोर को मालूम हो जायेगा कि उसका हाथ काट दिया जाए गा, जब ज़िना करने वाले को पता चल जायेगा कि उसे कोड़ा लगाया जायेगा और जब ज़िना की तोहमत लगाने वाले को पता चल जाएगा कि उसे कोड़ा मारा जायेगा, तो वह अपने इरादे से बाज़ आ जाएगा, चुनाँचि वह स्वयं सुरक्षित होगा और दूसरे भी सुरक्षित रहें गे। अल्लाह तआला का कथन कितना सच्चा है : "ऐ अक़्लमन्दो! क़िसास (हत्यादंड के क़वाएद मुक़र्रर कर देने) में तुम्हारी ज़िन्दगी है (और इसीलिए जारी किया गया है ताकि तुम खूँरेज़ी से) परहेज़ करो।" (सूरतुल बक़रा :179)

कोई कहने वाला कह सकता है कि ये सज़ायें जिन्हें इस्लाम ने कुछ अपराधों के लिए निर्धारित किया है, बहुत कठोर दंड हैं! तो ऐसे आदमी से कहा जाये गा कि सभी लोग इस पर सहमत हैं कि इन अपराधों के समाज पर ऐसे नुक़सानात हैं जो किसी पर रहस्य नहीं, और यह कि उनका विरोध और रोक थाम करना और उन पर दंड लगाना आवश्यक है, मतभेद केवल इस में है कि किस प्रकार का दंड होना चाहिए, अब हर आदमी को अपने आप से प्रश्न करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इस्लाम ने जो सज़ाएं रखी हैं वो अपराध की जड़ को काटने या उसे कम करने में अधिक लाभदायक और प्रभावकारी हैं, या वह सज़ाएं जिन्हें मानव ने निर्धारित किए हैं जो अपराध को अतिरिक्त बढ़ावा देते हैं? चुनाँचि पीड़ित अंग को काटना आवाश्यक होता है ताकि शेष शरीर सुरक्षित रह सके।

इसलाम धर्म ने सभी आर्थिक लेन–देन और मामलात जैसे क्रय–विक्रय, साझेदारियाँ, किराया पर देना, मुआवज़े आदि वैध किए हैं क्योंकि इस में लोगों पर उनके मआशी मामलों में विस्तार पैदा होता है, इसके कुछ शरई नियम हैं जो हानि न होने और अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करते हैं, और वह इस प्रकार कि दोनों पक्षों के बीच रज़ामंदी हो, जिस चीज़ पर मामला किया जा रहा है उसकी, उसके विषय और उसकी शर्तों की जानकारी हो, इस्लाम ने केवल उसी चीज़ को हराम घोषित किया है जिसमें हानि और अत्याचार (अन्याय) हो जैसे सूद, जुवा, लाटरी और वो मामलात जिनमें अज्ञानता हो, शरई नियमानुसार माली योग्यता और उसमें तसर्रुफ की आज़ादी सभी का अधिकार है किन्तु इस्लाम ने मनुष्य पर उसके माल के अन्दर तसर्रुफ करने पर पाबन्दी को वैध कर दिया है अगर उसके तसर्रुफ का उसके ऊपर या किसी दूसरे पर हानि का कारण हो, उदाहरण के तौर पर पागल, अल्पायु (छोटी उम्र वाला) और बेवकूफ आदमी पर

पाबंदी लगाना, या क़र्ज़दार आदमी पर पाबंदी लगाना यहाँ तक कि वह अपना क़र्ज़ चुका दे, इस कृत्य में जो हिक्मत (रहस्य) और लोगों के हुकूक़ की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, वह किसी बुद्धि वाले आदमी से गुप्त नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरों के हुकूक़ का खिलवाड़ और मज़ाक बनने से सुरक्षा है।

इस्लाम ने प्रत्येक भलाई का आदेश किया है और प्रत्येक बुराई से रोका है, सभी आचरण व व्यवहार और शिष्टाचार का ओदश दिया है, जैसे सच्चाई, विवेचना, सहनशीलता, विनम्रता, नम्रता, नरमी, शर्म व हया, वादा पूरा करना, गरिमा, दया, न्याय, साहस, धैर्य, मित्रता, सन्तुष्टि, सतीत्वता, शुद्धता, एहसान व भलाई, आसानी, विश्वस्नीयता (अमानतदारी), एहसान वा भलाई का आभार, क्रोध को दबा लेना (गुस्सा पी जाना)। तथा माता–पिता के साथ सदव्यवहार करने, रिश्तेदारों के साथ संबंध बनाये रखने, पीड़ितों और ज़रूरतमंदों की मदद करने, पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करने,

अनाथ की संपत्ति की रक्षा और उसकी देख रेख करने, छोटों पर दया करने, बड़ों का सम्मान करने, नौकरों और जानवरों के साथ कोमलता बरतने, रास्ते से हानिकारक और कष्टदायक चीज़ो को हटाने, मीठी बोल बोलने, बदला लेने की ताकत के बावजूद माफ कर देने, इस्लाम ने नेकियों और अच्छे कामों को रियाकारी (दिखावा), शोहरत की इच्छा और और किसी पर एहसान जतलाने के द्वारा नष्ट करने से रोका है।

इस्लाम किसी इन्सान का बनाया हुआ धर्म नहीं है जैसा कि हम (इस का) वर्णन कर चुके हैं; क्योंकि यदि ऐसा होता तो इस के अन्दर कमी तथा नक़्स की संभावना होती, परन्तु यह तो ईश्वरीय धर्म है जो ईश्वरीय आदेश द्वारा संदेष्टा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ऊपर उतरा फिर संदेष्टा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस ईश्वरीय संदेश को उसी प्रकार लोगों तक पहुँचाया जिस प्रकार यह अल्लाह तआला की ओर से उतरा था तथा इसी लिए अल्लाह ने कुरआन के अन्दर सूचना दी कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कलाम उस अल्लाह

की ओर से अवतरित वह्य है जिस के अन्दर चाहत (मन) का दखल नहीं है, " **और यह अपने मन से कोई बात नहीं करते हैं यह तो केवल ईश्वरीय आदेश है जो उतारा जाता है।**" (सूरतुन् नज्म:3,4)

इस्लाम एक पूर्ण धर्म है, एक विस्तृत निज़ाम तथा पूरे जीवन का एक ऐसा दस्तूर है जो तमाम पहलुओं को घेरे हुए है।

इस्लाम ने समय, स्थान और अवस्था के परिवर्तन को यूँ ही नहीं छोड़ दिया बल्कि विद्वानों को नये मसाइल के संबंध में उचित तज्वीज़ पास करने और इज्तिहाद का विशाल अवसर प्रदान किया, परन्तु यह इस्लाम धर्म की साधारण सीमा के भीतर होना चाहिए जिस से कोई अवैध आदेश वैध तथा कोई वैध आदेश अवैध न ठहर रहा हो।

निःसन्देह इस्लाम धर्म ने न्याय की नीव रखी तथा उस के स्तंभ को मज़बूत बनाया और इसे (न्याय) एक धार्मिक उत्तरदायित्व बतलाया, अल्लाह तआला ने

फरमायाः "**अल्लाह न्याय का आदेश देता है।**" (सूरतुन–नह्लः90)

तथा कुरआन ने निश्चित किया कि मुसलामनों के लिये उचित नहीं कि वह अपनी व्यक्तिगत प्रवृत्ति के आधार पर तथा अपने खानदान और क़रीबी लोगों के हितों की लालच में न्याय से काम न लें, "**तथा जब तुम बात करो तो न्याय करो अगरचे वह व्यक्ति तुम्हारा संबंधित ही हो।**" (सूरतुल अन्आमः152)

बल्कि इस्लाम ने तो शत्रुओं तक के साथ न्याय करने का आदेश दिये, "**किसी क़ौम की शत्रुता तुम्हें न्याय से काम न लेने पर न उभारे, न्याय किया करो जो परहेज़गारी के बहुत निकट है।**"

(सूरतुल माइदाः8)

यह सब इस्लाम के न्याय की विशेषताएं हैं, ऐसा न्याय जिस पर लोगों के बीच पाये जाने वाले संबंध से असर नहीं पड़ता और न ही लोगों के बीच पाई जाने वाली शत्रुता से इस पर असर पड़ता है, तो

उचित यह है कि मुसलमान अपने शत्रु के साथ न्याय करे जिस प्रकार वह अपने मित्र के साथ न्याय करता है तथा यह न्याय की ऐसी चोटी है जहाँ आज तक कोई भी इंसानी क़ानून नहीं पहुँच सका है।

इस धर्म के अन्दर यह शक्ति है कि यह जीवन के ढाँचे को संतुलित रूप में एक दरमियानी स्तंभ के ऊपर खड़ा करे जिस के अन्दर प्रलय के साथ संसार के पहलू का भी ध्यान रखा जाए"**और जो कुछ अल्लाह ने तुझे प्रदान किया है उस में से प्रलय (आख़िरत) के घर की तलाश भी रख तथा अपने दुनियावी हिस्से को भी न भूल।"** (अल–क़सस:77)

इस्लाम ने धर्ती को आबाद करने और इस में टहलने फिरने तथा इस के कोषागार (खज़ाने) की खोज करने का आदेश दिया, परन्तु इस ने इसी को उद्देश्य और मक़्सद नहीं ठहराया बल्कि मुसलमान का उद्देश्य और मक़्सद यह बतलाया कि उस से अल्लाह तआला प्रसन्न हो जाये, इसी कारण इस्लाम की

सभ्यता एक सुसज्जित इंसानी सभ्यता क़रार पाई क्योंकि इस ने विधान तथा सभ्यता की तरक़्क़ी एंव उन्नति को उस अख़लाक़ी उद्देश्य से जोड़ा जो वास्तव में अल्लाह तआला की प्रसन्नता और उस के स्वर्ग की प्राप्ति है और पश्चिमी माद्दी शिच्टाचार के अन्दर यही संबंध नहीं है जिस के कारण यह सभ्यता खिन्नता का सबब बनी और कोई भी लाभदायक सदाचार पहलू प्राप्त न कर सकी।

वास्तव में इस्लामी अहकाम केवल खयालात की दुनिया में बयान नहीं किये जाते बल्कि यह एक वास्तविक धर्म है जो मानवता की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा उनके सभी मामलात में कठिनाइयों को दूर करता है।

और इस्लाम के वास्तविक रूप में से यह है कि यह मानव प्रकृति के अनुसार है इस के विपरीत नहीं।

बल्कि इस ने इस (मानव–प्रकृति) को उत्तमता तथा ऊँचे आदर्श की दिशा दी और इस्लाम ने इसी कारण

विवाह को वैध ठहराया तथा उस पर उभारा और इस ने व्यभिचार और विवाह की सीमा से बाहर रह कर यौन संबंध क़ायम करने को अवैध बतलाया और इस के द्वारा खानदान के टुकड़े टुकड़े होने और उसे नष्ट होने से बचाया तथा एक पाक–साफ धार्मिक तरीक़े से यौन संबंध रचाने का आदेश दे कर स्वभाव के हित का पालन किया और इस्लाम ने व्यक्तिगत सम्पत्ति को वैध ठहराया, व्यक्ति जितनी सम्पत्ति चाहे रख सकता है परन्तु यह वैध रूप से जमा किया गया हो, ठीक उसी समय इस्लाम ने इस बात से रोका कि कुछ धनवानों के पास ही सारा माल एकत्र हो कर रह जाए जबकि बाक़ी लोग भूक का कष्ट उठा रहे हौं, तो यह चीज़ भी इस्लाम से संबंधित नहीं है।

निःसन्देह आसानी एंव सरलता इस्लाम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को किसी दो चीज़ों में से एक चीज़ को चयन करने के लिए कहा गया तो आप ने आसान

चीज़ को अपनाया जब तक कि यह चीज़ पाप तथा संबंध तोड़ने का कारण न बने **"और धर्म के बारे में तुम पर कोई तंगी नहीं डाली।"** (सूरतुल हज्ज:78)

और अल्लाह तआला ने फरमाया:**"अल्लाह तआला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं।"** (सूरतुल बक़रा:185)

और संदेष्टा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

"यह धर्म आसान है।"

लोगों पर आसानी करना इस्लाम धर्म का एक मौलिक उद्देश्य है। तथा पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने धर्म के अन्दर अतिशयोक्ति से रोका है, अपने आप पर तथा लोगों के ऊपर कठोरता करने से रोका है, परन्तु यह सरलता वैध तथा अवैध की सीमा को पार न करे, अन्यथा यह अल्लाह की सीमाओं का अपमान करना होगा, पस वास्तविक सरलता वही है जो धर्म के अनुसार हो।

इस्लाम मानव के गौरव और प्रतिष्ठा और उसके अधिकारों का सम्मान करता है, **"निःसन्देह हम ने आदम की संतान को बड़ा सम्मान दिया और उन को थल तथा जल की सवारियाँ प्रदान की और उन को पवित्र वस्तुओं से जीविका प्रदान की और अपनी बहुत सी सृष्टि पर उन को श्रेष्ठता प्रदान की।** (सूरतुल–इस्रा:70)

इस्लाम ने मानवता को इस प्रकार सम्मान दिया कि नाजाईज़ तरीक़े से उसे दुःख पहुँचाने को अवैध क़रार दिया, पस इस ने लोगों की जानों, मालों, उन की इज़्ज़तों, उनके धर्मों, तथा उनके नसब की हिफाज़त की और लेन देन तथा व्यवहार (मामलादारी) को प्रसन्नता और आसानी पर आधारित क़रार दिया। उन मामलों का इस्लाम में कोई एतबार नहीं जो जबरन किये जायें तथा इस से बड़ी बात तो यह है कि इस्लाम ने लोगों को इस के ऊपर ईमान

लाने पर मजबूर नहीं किया, **"धर्म के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं।"** (सूरतुल बक्रा:256)

तथा नसरानियों और यहूदियों ने मुसलमानों के बीच एक लम्बे समय तक जीवन बिताए हैं और इस दौरान उस इस्लामी शासन के साये में रह कर अपने अधिकार से लाभान्वित होते रहे जिस इस्लामी शासन का रक़्बा इतना बड़ा था कि उस में सूरज ग़ायब नहीं होता था। तथा इस बात का इतिहास ने वर्णन नहीं किया है कि मुसलमानों ने इन लोगों पर इस्लाम में दाखिल होने के लिए दबाव डाला हो। और पश्चिमी विचारकों ने इस (वास्तविकता) को स्वीकार किया है तथा उन्हों ने इस्लामी सरलता के इस अत्मा की प्रशंसा की है।

इस्लाम की एक खूबी यह है कि इस ने अकेले अल्लाह की उपासना करने का आदेश दिया है जिस का कोई साझी नहीं, पस अल्लाह तआला अकेला है जिस का कोई साझी नहीं, न उस ने किसी को जना

है और न ही वह किसी से जना गया है। तथा कोई भी उस का साझी नहीं।

इस्लाम की एक विशेषता यह है कि इस ने तमाम रसूलों पर विश्वास रखने का आदेश दिया, पस सभी रसूलों पर ईमान लाये बिना कोई मुसलमान नहीं हो सकता तथा उन रसूलों में मूसा, ईसा और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी हैं।

तथा इस्लाम धर्म की खूबी यह भी है कि उस ने उन सभी आसमानी किताबों पर विश्वास रखने का आदेश दिया जो अल्लाह की ओर से उतरीं जैसे तौरात, इन्जील, ज़बूर तथा कुरआन, परन्तु यह सूचना भी दे दी है कि कुरआन से पहले की किताबों में परिवर्तन तथा गड़बड़ी पैदा हो चुकी है।

तथा इस्लाम की एक विशेषता यह है कि इस ने फरिश्तों के ऊपर ईमान लाने का आदेश दिया है तथा उन के कार्यों को स्पष्ट किया तथा बतलाया कि

यह फरिश्ते अललाह के आदेश का पालन करते हैं और कभी भी उस की अवज्ञा नहीं करते।

तथा इस्लाम की एक खूबी यह है कि इस ने क़ज़ा व क़द्र (ईश्वरीय निर्णय) पर ईमान लाने का आदेश दिया। इस ईमान का बड़ा लाभ यह है कि इस से दिल को संतोष, सुकून तथा अन्दरूनी शान्ति प्राप्त होती है; क्योंकि मोमिनों को पता होता है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वह अल्लाह की मशीयत (चाहत) से होता है, तो अल्लाह ने जो चाहा वह हुआ जो नहीं चाहा वह नहीं हुआ, पस अल्लाह तआला हो चुकी और होने वाली चीज़ों को जानता है, तथा उन चीज़ों को भी जानता है जो प्रकट नहीं हुई यदि प्रकट होती तो कैसी होती और यही ज्ञान का अंत है।

इस्लाम की एक खूबी यह भी है कि इस ने नमाज़, रोज़ा, ज़कात, तथा हज्ज का आदेश दिया तथा इन

में से हर उपासना के बहुत सारे लाभ हैं जिन को इन पन्नों में बयान नहीं किया जा सकता।

तथा इस्लाम की विशेषता यह भी है कि इस ने वैध तथा अवैध को लोगों के सामने स्पष्ट कर दिया और चीज़ों में जवाज़ (वैधता) को मूल ठहराया और कुरआन तथा हदीस के तर्क के बिना कोई चीज़ वर्जित नहीं हो सकती।

तथा इस्लाम की एक विशेषता यह है कि यह लोगों के ऊपर दया तथा कृपा करने वाला धर्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि: **"अल्लाह रफीक़ (नम्र) है, नरमी को पसंद करता है तथा नरमी बरतने पर वह जो कुछ देता है सखती बरतने पर नहीं देता।"** (मुस्लिम)

और इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि इस ने लोगों के लिए तौबा का दरवाज़ा खोल रखा है कि कहीं वह मायूस तथा निराश न हो जायें, **"(मेरी ओर से) कह दो कि ऐ मेरे बन्दो! जिन्हों ने अपनी जानों**

पर अत्याचार किया है तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो जाओ, निःसन्देह अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देने वाला है, वास्तव में वह बड़ी बख्शिश और बड़ी रहमत वाला है।''

(ज़ुमरः 53)

आदमी कितने ही पाप एंव हराम कार्य कर बैठे उसके लिए संभव है कि इसे छोड़ कर उस पर लज्जित हो और उस पाप से अल्लाह तआला से तौबा कर ले और यदि उसकी तौबा सच्ची है तो अल्लाह तआला उसे स्वीकार फरमाता है तथा उस पर उसे पुण्य देता है और कभी कभी उन गुनाहों को नेकियों में बदल देता है तथा यह इन्सान के ईमान की मज़बूती और उसकी तौबा की सच्चाई के हिसाब से होती है।

तथा इस्लाम की एक खूबी यह है कि उस ने मर्दों को अपनी बीवियों के साथ हुसने मुआशरत (अच्छे रहन सहन, बरताव) का आदेश दिया, **''उन के साथ**

अच्छे तरीक़े से बूद व बाश रखो।'' (सूरतुन निसा:18)

तथा उनके ऊपर अत्याचार करने और उन से नफरत करने से रोका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत से द्धेष (बुग़्ज़ व नफ्रत) न रखे, यदि उसे उसकी एक आदत ना पसंद है तो उसकी कोई दूसरी आदत से वह प्रसन्न हो सकता है।

इस्लाम की खूबियों में से यह है कि इस ने मर्द के ऊपर अपनी बीवी के खर्च को अनिवार्य ठहराया, अगरचे उस (बीवी) के पास माल हो तथा उसे अपना माल खर्च करने की पूरी स्वतंत्रता दी। अतः मर्द को बीवी की इच्छा के बिना उस के माल में से कुछ भी लेने का अधिकार नहीं है।

इस्लाम की एक खूबी यह है कि इस ने ऊँचे अखलाक़ की ओर आमंत्रित किया जैसे न्याय, सच्चाई, अमानत दारी, मुसावात, कृपा, सखावत,

वीरता, वफादारी, नम्रता, तथा बुरे अखलाक़ से रोका जैसे अत्याचार, झूठ, कठोरता, कंजूसी, बहाने बनाना, खयानत तथा घमण्ड करना। और अल्लाह ने अपने सन्देष्टा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अच्छे अखलाक़ की प्रशंसा की है, **"निःसन्देह आप बड़े उत्तम स्वभाव पर हैं।"** (सूरतुल क़लम:4)

तथा इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि इस ने हर चीज़ यहाँ तक कि जानवरों के साथ तक भी एहसान करने का आदेश दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि:**"एक नारी को एक बिल्ली के विषय में यातना से दो चार होना पड़ा, उस ने उसे क़ैद में डाल दिया यहाँ तक कि वह मर गई तो उस ने इसके परिणाम में नरक में प्रवेश किया, न तो उस ने उस को खिलाया पिलाया और न ही उस को छोड़ा कि वह ज़मीन (खेती) के कीड़े–मकूड़े खा सके।"**

आज से चौदह शताब्दी पूर्व इस्लाम का जानवरों के साथ दया का यह एक उदाहरण है तो लोगों के साथ इसका क्या हाल होगा।

इस्लाम की एक खूबी यह है कि इस ने मामले (व्यापार आदि) में धोखा धड़ी करने से रोका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि: "**जिस ने धोखा दिया वह हम में से नहीं।**"

तथा इस्लाम की एक विशेषता यह है कि यह कार्य करने और जीविका ढूँढने पर उभारता है तथा सुस्ती और लोगों के सामने भीक मांगने से रोका परन्तु जब कोई सख्त आवश्यकता में हो तो उसे पूरा करने के लिए भीक मांग सकते हैं।

तो इस्लाम प्रयत्न करने, कार्य करने तथा मेहनत करने का धर्म है, सुस्ती तथा आलस्य और शिथिलता का धर्म नहीं, "**फिर जब नमाज़ हो चुके तो धर्ती पर फैल जाओ और अल्लाह का फज़्ल तलाश करो और**

ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का वर्णन करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ।'' (सूरतुल जुमुआ:10)

इस्लाम धर्म की विशेषताओं तथा खूबियों के विषय में यह चंद बातैं हैं और इस पुस्तिका के अन्दर उन खूबियों को विस्तार और विवरण के साथ नहीं लिखा जा सकता। **अबू ख़ालिद जावेद अहमद अब्दुल हक़ सईदी**

□□□□□